न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/163 **दायरा दिनांक : 16.09.2022**

उनवान

1. धन्नालाल पुत्र श्री केदारलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
2. हरिराम पुत्र श्री केदारलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
3. रामपाली पत्नी श्री केदारलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
4. कालूलाल पुत्र अमर लाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. बिरधा पुत्र रामनाथ जी, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.) मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   - 1/1. दौलतराम पुत्र बिरधा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
   - 1/2. लेखराज पुत्र बिरधा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
   - 1/3. सूरजमल पुत्र बिरधा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
   - 1/4. पप्पूलाल पुत्र बिरधा जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
   - 1/5. चन्द्रकलां बाई पुत्री बिरधा पत्नी प्रभूलाल, जाति मीना, निवासी बिलोदखुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज.)
2. मोरपाल पुत्र कन्हैया लाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
3. रामपाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
4. देवकरण पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
5. चौथमल पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
6. हरिशंकर पुत्र नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
7. सियाराम पुत्र नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
8. बिलासीबाई पुत्री नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
9. संतोषीबाई पुत्री नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
10. मुकलेशबाई पुत्री नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
11. बिरधा पुत्र बजरंगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

12. जगदीश पुत्र बजरंगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
13. दिनेश पुत्र मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
14. दीपचन्द पुत्र मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
15. निर्मला पुत्री मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
16. अनिता पुत्री मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
17. मोहनी बाई पत्नी मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
18. मीनाक्षी पुत्री रामकिशन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
19. मदनबाई पत्नी रामकिशन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
20. रामचन्द्र पुत्र मूल्या उर्फ मूलीलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
21. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
22. प्रहलाद पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
23. राधेश्याम पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
24. ओम प्रकाश पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
25. सूरजमल पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
26. रामजानकी पुत्री भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
27. राजेश बाई पुत्री भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
28. धापू बाई पुत्री भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
29. पुष्पाबाई पुत्री भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
30. शाखा प्रबन्धक बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर, जिला झालावाड
31. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा खानपुर
32. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा खानपुर
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/164 **दायरा दिनांक : 16.09.2022**

उनवान

1. धन्नालाल पुत्र श्री केदारलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
2. हरिराम पुत्र श्री केदारलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3. रामपाली पत्नी श्री केदारलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
4. कालूलाल पुत्र अमर लाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. बिरधा पुत्र रामनाथ जी, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.) मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   1/1. दौलतराम पुत्र बिरधा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
   1/2. लेखराज पुत्र बिरधा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
   1/3. सूरजमल पुत्र बिरधा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
   1/4. पप्पूलाल पुत्र बिरधा जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
   1/5. चन्द्रकलां बाई पुत्री बिरधा पत्नी प्रभूलाल, जाति मीना, निवासी बिलोदखुर्द, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज.)
2. मोरपाल पुत्र कन्हैया लाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
3. रामपाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
4. देवकरण पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
5. चौथमल पुत्र कन्हैयालाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
6. हरिशंकर पुत्र नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
7. सियाराम पुत्र नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
8. बिलासीबाई पुत्री नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
9. संतोषीबाई पुत्री नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
10. मुकलेशबाई पुत्री नैनगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
11. बिरधा पुत्र बजरंगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
12. जगदीश पुत्र बजरंगा, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
13. दिनेश पुत्र मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
14. दीपचन्द पुत्र मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
15. निर्मला पुत्री मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16. अनिता पुत्री मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
17. मोहनी बाई पत्नी मोहन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
18. मीनाक्षी पुत्री रामकिशन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
19. मदनबाई पत्नी रामकिशन, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
20. रामचन्द्र पुत्र मूल्या उर्फ मूलीलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
21. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
22. प्रहलाद पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
23. राधेश्याम पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
24. ओम प्रकाश पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
25. सूरजमल पुत्र भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
26. रामजानकी पुत्री भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
27. राजेश बाई पुत्री भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
28. धापू बाई पुत्री भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
29. पुष्पाबाई पुत्री भैरूलाल, जाति मीना, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
30. शाखा प्रबन्धक बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर, जिला झालावाड
31. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा खानपुर
32. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा खानपुर
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री रघुवीर सिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बच्चूलाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 21, 23, 24, 25, 26 एवं श्री भगवती,
श्री सतीश चन्द गुप्ता रेस्पोडेंट नं. 32 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 28.11.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 929/दावा/2019 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2020 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.12.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 17 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खतौनी संख्या नई 34 पुरानी 33 के खसरा नं. 29 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 60 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 85 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 88 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 89 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 91 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 91/526 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 92 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 93 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 94 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 95 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 96 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 97 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 98 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 99 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 101 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 102 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 136 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 185 रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 186 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 187 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 188 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 392 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 399 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 400 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 401 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा कुंल खसरा 26 कुल रकबा 175 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम बौहरा, तहसील खानपुर वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2020 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.12.2021 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील सं. 2022/163 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायलय ने बिना अपीलांट्स को सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की साक्ष्य भी नहीं ली गई एवं दिनांक 12.03.2020 को ही निर्णय पारित कर दिया तथा प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे एवं मातहत न्यायालय को तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील सं. 2022/164 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने विभाजन स्कीम पर फरीकेन को नहीं सुना, बिना अपीलांट्स को सुने बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 24.12.2021 को पेश करना बताकर दिनांक 30.12.2021 को फाईनल डिकी पारित कर दी। अपील में दर्ज आराजियात में अपीलांट्स नं. 1 लगायत 3 एवं रेस्पोडेंट नं. 19 व 20 का 1/10 हिस्सा व अपीलांट नं. 4 का 1/10 हिस्सा दर्ज

(दीपि समचन्द मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है। इस प्रकार सभी अपीलांट्स व रेस्पोडेंट नं. 19 व 20 का 1/5 हिस्सा बनता है। आराजीयात कुल किता 26 कुल रकबा 175 बीघा 06 बिस्वा (28.3767 हैक्टेयर) में सभी अपीलांट्स व रेस्पेडेंट नं. 19 व 20 का 1/5 हिस्से के अनुसार 35 बीघा 01 बिस्वा (5.6753 हैक्टेयर) आराजीयात हिस्से में आती है। किन्तु फाईनल डिक्री में सभी अपीलांट्स व रेस्पेडेंट नं. 19 व 20 को 3.9741 हैक्टेयर ही दी गई है। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की फाइनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने जो फाईनल डिक्री जारी की है, वह मनमानी है, परवर्स है तथाकेप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिक्री अपास्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.07.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि वादी/रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 18 (वर्तमान रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 17) ने अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के यहां ग्राम बोहरा, तहसील खानपुर की आराजी खसरा नं. 29 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 60 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 85 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 88 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 89 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 91 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 91/526 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 92 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 93 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 94 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंत्र 95 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 96 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 97 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 98 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 99 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 101 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 102 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 136 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 185 रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 186 रकबा 11 बीघा 6 बिस्व, खसरा नं. 187 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 188 रकबा 6 बीघा 15 बिस्व, खसरा नं. 392 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 399 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 400 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 401 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता 26 कुल रकबा 175 बीघा 6 बिस्वा के सम्बन्ध में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त आराजी में वादी/रेस्पोडेंट सं. 1 का 1/5 हिस्सा, वादी/रेस्पोडेंट सं. 2 लगायत 5 का 1/5 हिस्सा, वादी/रेस्पोडेंट सं. 6 लगायत 10 का 1/20 हिस्सा, वादी/रेस्पोडेंट सं. 11 का 1/20 हिस्सा, वादी/रेस्पोडेंट संख्या 12 का 1/20 हिस्सा एवं वादी/रेस्पोडेंट संख्या 13 लगायत 17 का 1/20 हिस्सा निहित है जिसका विभाजन किया जावे तथा वादी/रेस्पोडेंट के खाते में आने वाली आराजी का अलग अलग लगान तय किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावे व वादी/रेस्पोडेंट के हिस्से में आने वाली आराजी पर आवश्यक हो तो कब्जा भी दिलाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम को गलत एवं अवैधानिक रूप से इकबालिया जवाबदावा मानकर तनकीयात कायम किये बिना तथा साक्ष्य लिये बिना ही अपीलांट को सुने बिना ही निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वमान्य विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की साक्ष्य लिये बिना ही आरबीट्रेरी रूप से दिनांक 12.03.2020 को ही निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था जिसका कोई जवाब वादी/रेस्पो० संख्या 1 लगायत 17 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि कानूनन काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर जवाब काउन्टर क्लेम लेकर वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के आधार पर विवाद्यक (तनकीयात) विनिश्चय की जाकर/वादी एवं प्रतिवादीगण की शहादत (साक्ष्य) लेकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय एवं डिक्री के आदेश पारित करने चाहिये थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये एवं साक्ष्य लिये बिना ही तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी करने में कानूनी त्रुटि की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पो० एवं अपीलांट/प्रतिवादी के अभिवचनों के विपरीत जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। इस संदर्भ में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 1 व 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अभिवचनों के बाहर जाकर किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा सकती जिसमें कोर्ट भी पाबन्द है।

इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2011 (4) सिविल कोर्ट कैसेज पेज 627 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि अभिवचनों के बाहर जाकर सहायता नहीं दी जा सकती है और कोर्ट अभिवचनों के बाहर जाकर अगर कोई रिलीफ देता है तो वह कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

कोरोनाकाल के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने Suo Motu Writ Petition No-03/2020 एवं अन्य न्यायिक निर्णयों में यह विनिश्वय किया गया है कि लॉकडाउन अवधि से दिनांक 01.03.2022 तक के समय में जो निर्णय हुये हैं उनमें लिमिटेशन की अवधि दिनांक 01.03.2022 से 90 दिन तक बढ़ाते हुये डिले कन्ड्रोन करने का आदेश पारित किया गया है जिससे प्रस्तुत अपील अवधि मध्य पेश है।

इस संबंध में RRD 1992 Page 17 & Page 117 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "Ilegal Ordzer Can be Challange at any time-

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने विलम्ब माफ करते हुये RRT 2018 (1) Page 601 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जब अपीलांट पर लापरवाही आरोपित न हो तो पर्याप्त कारण का उदार अर्थनव्ययन लेना चाहिये जिससे सारभूत न्याय दिया जा सके।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2020 तथा फाइनल डिक्री

(दीपचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 30.12.2021 निरस्त किया जाये तथा अधीनस्थ न्यायालय को तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1050, आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 585, आर.आर.टी. 2023 (2) पेज 1044, सिविल कोर्ट कैसेज 2011(4) पेज 627, सिविल रिट नं. 3/2020 एस.सी., आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 602, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 601, आर.एल.डब्ल्यू. 2003 (4) एस.सी. पेज 509 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 21, 23 लगायत 26 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपील के सारे कथन न्याय व कानून के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की है। अतः फाईनल डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने प्रतिवाद जो खारिज हुआ उसकी भी अपील नहीं की है। माननीय तहसीलदार साहब ने नियमों का पालना करके फाईनल डिक्री का प्रस्ताव भेजा है जिसको विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया है। फाइनल डिक्री बनाने में नियमों का कतई उल्लंघन नहीं हुआ है। फाइनल डिक्री नियमों का पूर्ण रूप से पालन करके बनाई गई है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 32 की ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल में धारा 53 का दावा पेश किया गया जिसकी प्रतिवादी अपीलांट ने अपील की है। बंटवारा प्रस्ताव पर सभी के हस्ताक्षर है अतः सभी को अंतिम डिक्री जी जानकारी थी और अब धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन कर रहे है कि हमे निर्णय की जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने जो बंटवारा किया है वह रिकार्ड के अनुसार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय विधिवत रूप से पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। प्रतिवादी नं. 1 के कायम मुकाम अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2020 की विरूद्ध अपील संख्या 2022/163 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि

(दीप्ति चन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना ही निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं ली गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया था जिसका कोई जवाब वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 17 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि कानूनन काउण्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर जवाब काउण्टर क्लेम लेकर वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा व काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात विनिश्चय की जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की शहादत (साक्ष्य) लेकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय एवं डिक्री के आदेश पारित करने चाहिए थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये एवं साक्ष्य लिये बिना ही तथा अपीलांट को सुनवाई को अवसर दिये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी करने में कानूनी त्रुटि की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की और ना ही साक्ष्य लेखबद्ध करते हुए बाद जिरह वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तनकीयात का विवेचन करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2003 जारी की है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2020 अपास्त किया जाता है।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2022/164 भी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.3.2020 पारित करने में स्थापित विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। अतः विधिक प्रकिया के विपरीत पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को भी वैधानिक रूप से स्वीकार करना न्यायोचित नहीं होने के कारण प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2021 को अपास्त किया जाता है।

पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम करने के पश्चात साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी दर्ज करते हुए वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 28/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा